गौण खनिज

अनुसूची – चार

(देखिए नियम 29)

अनिवार्य भाटक की दरें
रूपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष

अनु. क्रमांक	खनिज की श्रेणी	उत्खनन पट्टे का प्रथम वर्ष	उत्खनन पट्टे के द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष	उत्खनन पट्टे के चतुर्थ वर्ष और आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आकारीय पत्थर–ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टाने जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ठ आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है.	निल	10,000	15,000
2.	संगरमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ठ आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है.	निल	3,000	5,000
3.	चूनापत्थर भट्टी में जला कर चूना का विनिर्माण कर भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग के लिए.	निल	3,000	5,000
4.	फ्लेगस्टोन प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श, छत आदि के लिए किया जाता है.	निल	5,000	7,500
5.	क्रशर के लिए पत्थर	निल	5,000	7,500
6.	साधारण रेत, बजरी	निल	5,000	7,500
7.	मुरूम	निल	2,000	3,000
8.	भवन प्रयोजन के लिए पत्थर तथा अन्य गौण खनिज.	निल	2,000	3,000

प्ररूप – एक

(देखिए नियम 9)

उत्खनन पट्टा प्रदान करने/ नवीकरण के लिए आवेदन

दिनांक .... 19........ को स्थान .... में प्राप्त किया गया.

(यहां न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाएं)

की ओर से –

....

....

प्रति,

श्रीमान् ....

....

व्दारा

श्रीमान् ....

....

....

दिनांक .... 19........

1. मैं/हम अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में .... हेक्टर भूमि में .... वर्ष की अवधि के लिए उत्खनन पट्टा दिये जाने/ उत्खनन पट्टे के नवीकरण हेतु आवेदन करते हैं.

2. नियमों के अधीन देय रू. 5,000 (रूपये पांच हजार) या रू. 250 (दो सौ पचास रूपये) की राशि आवेदन शुल्क के रूप में चालान क्र. .... दिनांक .... स्थान .... में जमा कर दी गई है।

3. अवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैः–

(एक)	आवेदक का नाम	. . . .
(दो)	आवेदक की राष्ट्रीयता (भागीदार, संचालक, सदस्य)	. . . .
(तीन)	रजिस्ट्रीकरण अथवा निगमन का स्थान (फर्म, कंपनी अथवा सोसायटी/सहयोजन)	. . . .
(चार)	व्यक्ति की उपजीविका (वृत्ति) फर्म या कंपनी या सोसायटी या सहयोजन के व्यवसाय की प्रकृति तथा व्यवसाय का स्थान.	. . . .
(पांच)	व्यक्ति/फर्म, कंपनी अथवा सोसायटी या सहयोजन का पता	. . . .

(छः)	जाति (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों की).	. . . .
(सात)	शैक्षणिक अर्हता (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों की).	. . . .
(आठ)	आयु (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों की).	. . . .
(नौ)	निवास (व्यक्ति अथवा सोसायटी या सहयोजन के सदस्यों का).	. . . .
(दस)	संचालकों / भागीदारों / सदस्यों की सूची.	. . . .
(ग्यारह)	रजिस्ट्रीकरण / निगमन प्रमाण – पत्र.	. . . .
(बारह)	आर्थिक प्रास्थिति.	. . . .
(तेरह)	आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेण्डम / भागीदारी विलेख / उपविधि.	. . . .
(चौदह)	क्या आवेदन नये पट्टे हेतु है अथवा पूर्व में स्वीकृत पट्टे के नवीकरण हेतु है. पूर्व स्वीकृत पट्टे के ब्यौरे दें,	. . . .
(पन्द्रह)	खनिज / खनिजों जो आवेदक उत्खनन करने का आशय रखता हैं.	. . . .
(सोलह)	वह कालावधि जिसके लिए उत्खनन पट्टा / उत्खनन पट्टे का नवीकरण अपेक्षित हैं.	. . . .
(सत्रह)	प्रथम तीन वर्ष के दौरान उठाए जाने वाले खनिज की अनुमानित मात्रा.	. . . .
(अठारह)	वह रीति जिसमें उठाये गये खनिज का उपयोग किया जाना हैः– (क) विनिर्माण हेतु (ख) बिक्री हेतु (ग) अन्य कोई उद्देश्य.	. . . .

विनिर्माण के मामले में, उद्योगों जिसके लिए इसकी आवश्यकता है, विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए. प्लांट / प्लांटों का स्वामित्व, लगाया जाना प्रस्तावित है, कि ब्यौरे दें.

4. (क) प्लान की (छः प्रतियों) अवस्थिति तथा क्षेत्र / क्षेत्रों की सीमाएं दर्शाते हुए जिसके लिए आवेदन किया गया है तथा रियायतें, यदि हों, समीपस्थ संलग्न हैं / हैं (यदि यह प्लान / ये प्लान अपर्याप्त समझे जाएं, मैं / हम प्रार्थना करते है कि आवश्यक क्षेत्र / क्षेत्रों का प्लान दो प्रतियों में आपके कार्यालय में मेरे / हमारे खर्चे पर तैयार किये जा सकते हैं).

(ख) खसरा पांच साला.

5. राज्य के प्रत्येक जिले में खनिजवार समस्त क्षेत्र दर्शाते हुए विवरण सहित शपथ पत्र :-

(एक) मेरे/हमारे व्दारा पहले ही धारित मेरे/हमारे नाम/नामों पर (तथा अन्यों के साथ संयुक्त रूप से) उत्खनन पट्टों के अधीन धारित गौण खनिजों के नामों को विनिर्दिष्ट करते हुए.

(दो) पहले ही आवेदन किया गया परन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया, और

(तीन) राज्य के अन्य जिलों में साथ-साथ आवेदन करते हुए, संलग्न हैं.

6. सतह अधिकार प्राप्त करने का शपथ पत्र.

7. प्ररूप -दो में अदेय (नो-ड्यूज) प्रमाण-पत्र.

8. प्लान में महत्वपूर्ण विशेषताएं दर्शाई जाना चाहिए, जैसे-

(एक) यदि रेल्वे है, तो उसके पूर्ण ब्यौरे अर्थात् क्या पूर्वी रेल्वे या मध्य रेल्वे, ब्रांच लाइन या मुख्य लाईन या कोयला खान, ट्रामवे.

(दो) यदि सड़क है तो क्या ग्राम या लोक निर्माण विभाग या गाड़ी रास्ता.

(तीन) कुंए

(चार) मंदिर या मस्जिद.

(पांच) मरघट या कब्रिस्तान आदि.

9. उस दशा में, जब आवेदित नवीकरण केवल धारित पट्टे के भाग के लिए है -

(क) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र.

(ख) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र का विवरण.

(ग) नवीकरण के लिए आवेदित क्षेत्र की विशिष्टियों को चिन्हित करते हुए, धारित पट्टा की विशिष्टियां (संलग्न हैं).

10. वे साधन, जिनके व्दारा खनिज उठाया जाना है, अर्थात मानव श्रमिकों व्दारा, मशीनें यंत्र या विद्युत शक्ति व्दारा.

11. कोई अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करना चाहता हैं.

अनुसूची

आवेदित क्षेत्र का विवरण

(एक) ग्राम तथा पंचायत का नाम.

(दो) प्रत्येक क्षेत्र अथवा उसके भाग का खसरा क्रमांक तथा क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(तीन) जिस क्षेत्र के लिए आवेदन किया गया है उसका पूरा विवरण

प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए –

(चार) तहसील एवं पटवारी हल्का नंबर

(पांच) जिला

स्थान . . . . भवदीय,

दिनांक . . . . (नाम तथा पद)

टिप्पणी– यदि आवेदन पत्र आवेदक के प्राधिकृत अभिकर्ता (एजेन्ट) व्दरा हस्ताक्षरित किया गया है तो अधिकार पत्र (पावर ऑफ एटार्नी) संलग्न करना चाहिए. यदि सभी खसरा क्रमांक इस प्ररूप में दर्ज नहीं किये जा सकें तो उसे पृथक शीट पर दर्ज करते जाना चाहिए तथा संलग्न कर हस्ताक्षरित करें जहां किसी खसरा क्रमांक का केवल कोई हिस्सा अपेक्षित हो तो उस भाग का अनुमानित क्षेत्रफल पर्याप्त होगा.

3. **छूट** – इन नियमों की कोई भी बात–

(एक) आनुवंशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी सोसायटी व्दारा परंपरागत साधनों से कवेलू, बर्तन या ईट बनाने के लिए, परन्तु भट्टों में निर्माण क्रिया व्दारा यांत्रिक साधनों व्दारा नहीं, ऐसे क्षेत्र से, जो कि ग्राम पंचायतें उनके अपने–अपने क्षेत्र के भीतर विनिश्चित् और निर्धारित करें, मिट्टी तथा रेत निकालने के लिए लागू नहीं होगी;

22. उत्खनन पट्टे / उत्खनन अनुज्ञा–पत्र की कालावधि– वह कालावधि जिसके लिए उत्खनन पट्टे / उत्खनन अनुज्ञा–पत्र या उसका नवीकरण किया जा सकेगा, नीचे दी गई सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :–

सारणी

अनुक्रमांक	खनिजों का नाम	कालावधि	
		व्यक्तिगत प्रकरण के मामले में	सहकारी सोसायटियों के मामले में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आकारीय पत्थर–ग्रेनाइट, डोलेरायट तथा अन्य आग्नेय और परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग विनिर्दिष्ट आकार के ब्लाक्स, काटने तथा तराशने, स्लेब, टाइल्स बनाने के प्रयोजन के लिए किया	नवीकरण खण्ड के साथ बीस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ बीस वर्ष

	जाता है.		
2	संगमरमर जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब, टाइल्स बनाने के लिए काटने तथा तराशने के प्रयोजन के लिए किया जाता है.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
3	अन्य प्रयोजन के लिए संगमरमर पत्थर	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष
4	चूना पत्थर जिसका उपयोग भट्टों में भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला चूना बनाने के लिए किया जाता है.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
5	फर्शीपत्थर–प्राकृतिक परतदार चट्टान, जिसका उपयोग फर्शी, छत इत्यादि के लिए किया जाता है और जो काटने एवं तराशने के उद्योग में उपयोग किया जाता है.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
6	मशीन व्दारा मिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात क्रशर के उपयोग हेतु).	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
7	बेन्टोनाइट/फ्यूलर्स अर्थ	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष
8	चिमनी भट्टा तथा कवेलू उद्योग के लिए मिट्टी	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष
9	साधारण रेत, बजरी	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
10	ईट, बर्तन, कवेलू इत्यादि बनाने के लिए साधारण मिट्टी, चिमनी भटटा के सिवाय.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
11	पत्थर, बोल्डर, रोड मेटल, गिट्टी, ढोका, खण्डा, परिष्कृत पत्थर (ड्रेस्ड स्टोन) रबल, चिप्स.	नवीकरण खण्ड के बिना तीन वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना तीन वर्ष
12	मुरम	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
13	चूना कंकड़	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
14	ग्रेवल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
15	लाईम शेल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
16	रेत मिट्टी	नवीकरण खण्ड के	नवीकरण खण्ड के

		बिना दो वर्ष	बिना दो वर्ष
17	स्लेट जब भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
18	शेल जब भवन निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष
19	ऊपर विनिर्दिष्ट न किये गये खनिजों के अलावा अन्य कोई गौण खनिज.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर दिनांक **2.3.2006**

क्रमांक **एफ 7—7/2004/12,** खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 4 सहपठित नियम 66 व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् व्दारा गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करता है :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(एक) इन निर्देशों का संक्षिप्त नाम छ0ग0 गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय विनियमन निर्देश, 2006 है ।

(दो) ये निर्देश 1 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त होगें ।

2. परिभाषाएं :— इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, छ0ग0 गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 2 में अभिप्रेत परिभाषाएं यथावत् लागू होंगी ।

3. कोई भी व्यक्ति छ0ग0 राज्य के किसी भी क्षेत्र में, इन निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही गौण खनिज रेत का उत्खनन एवं परिवहन कार्य कर सकेगा । परन्तु इन निर्देशों की कोई भी बात इनके लागू होने के पूर्व प्रदान की गई ऐसी किसी अनुज्ञा, उत्खनन पट्टा, व्यापारिक खदान या स्वामित्व (रायल्टी) खदान को लागू नहीं होगी, जो इन निर्देशों के लागू होने के समय प्रवृत्त थी ।

4. **गौण खनिज रेत के खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें :—**

(1) संबंधित ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय जिसके क्षेत्र में रेत खदान स्थित है, को रायल्टी भुगतान कर गौण खनिज रेत का उत्खनन किया जा सकेगा । संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय रायल्टी का संग्रहण तथा रेत खदानों की व्यवस्था स्वतः करेंगी । इस कार्य को ठेके पर देना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा ।

(2) रेत की चालू खदानों को जिले के कलेक्टर व्दारा चिन्हित, सीमांकित कर अधिसूचित किया जाएगा तथा उन्हें विशिष्ठ नाम दिया जाएगा, ताकि एक ही क्षेत्र में स्थित एक से अधिक रेत खदानें होने पर उन सभी खदानों को आसानी से पहचान की जा सके । अधिसूचना की एक प्रति कलेक्टर व्दारा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ शासन को भेजी जाएगी ।

(3) प्रदेश में स्थित रेत की समस्त वर्तमान खदानें उनसे वर्ष 2001—2002 तथा 2002—2003 में प्राप्त अनुमानित औसत रायल्टी राशि के आधार पर जिला कलेक्टर व्दारा निम्नानुसार संबंधित ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के नियंत्रण में दी जाएगी ।

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 05 लाख अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संबंधित ग्राम पंचायत के अधीन की जाएगी ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रू. 05 लाख से अधिक अनुमानित वार्षिक रायल्टी की खदानें संबंधित जनपद पंचायत के अधीन की जाएगी ।

जो खदानें जनपद पंचायतों के अधीन रहेंगी, उनसे प्राप्त होने वाली रायल्टी राशि में से जनपद पंचायत व्दारा रूपये 5 लाख वार्षिक राशि उक्त ग्राम पंचायत को, जिसकी सीमा में खदान स्थित है, दी जाएगी ।

(ग) किसी नगरीय निकाय की सीमा में स्थित रेत खदान संबंधित नगरीय निकाय के अधीन की जाएगी ।

(4) प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्राप्त रायल्टी के आधार पर खदानों को पुनः ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकायों, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन करने बाबत् आगामी तीन वर्षों के लिए निर्णय लिया जाएगा ।

(5) कलेक्टर व्दारा अधिसूचित रेत खदानों से कोई भी व्यक्ति, संस्था या ठेकेदार शासन व्दारा अधिसूचित रायल्टी जमा करने पर रेत उठाने एवं उसका परिवहन करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

(6) संबंधित रेत खदान का नियंत्रण रखने वाली ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, व्दारा रेत के क्रेता को उसके व्दारा **निर्धारित प्रारूप – एक** में आवश्यक रायल्टी राशि जमा किये जाने पर ही अभिवहन पास जारी कियें जायेंगे ।

(7) अभिवहन पास की किताबें संबंधित ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय को कलेक्टर कार्यालय से राज्य शासन व्दारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर जारी की जाएगी । कलेक्टर्स को ये परिवहन पास उनकी मांग के अनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म व्दारा मुद्रित कराकर उपलब्ध करायें जायेंगे ।

(8) संबंधित पंचायत/ नगरीय निकाय व्दारा प्राप्त रायल्टी की जानकारी संलग्न प्रारूप – दों में प्रति माह संबंधित जिले के कलेक्टर को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(9) संबंधित खदान पर नियंत्राण रखने वाली ग्राम पंचयात/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय रेत के सुगम उत्खनन, परिवहन एवं खदान के समुचित रख–रखाव हेतु निम्नलिखित व्यवस्था करेंगी जिस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति खदान से प्राप्त होने वाले रायल्टी की राशि से किया जाएगा :–

(क) मुख्य मार्ग से खदान तक जाने के लिये रैम्प का निर्माण तथा उसका समुचित रख–रखाव एवं मरम्मत कराना ।

(ख) खदान स्थल पर अभिवहन पास जारी करने एवं रायल्टी राशि एकत्रित करने की व्यवस्था करना ।

(10) संबंधित पंचायत/ नगरीय निकाय यह सुनिश्चित् करेंगे कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के नियम 5 के तहत् प्रतिबंधित स्थानों :–

(क) किसी पुल से 75 मीटर के उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा ।

(ख) नदी के किनारों, किसी प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली किसी संरचना से 50 मीटर के भीतर उत्खनन कार्य नहीं किया जाएगा ।

(11) संबंधित पंचायत/ नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 3 में प्रावधानित निम्नलिखित छूटों का पालन रेत उत्खनन के मामलों में भी करेंगी :–

(क) अनुवांशित कुम्हार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य या उनकी ऐसी सहकारी सोसायटियां जो परम्परगत साधनों से कवेलू, बर्तन, ईट बनाती है, को इन उपरोक्त कार्यों हेतु रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी ।

(ख) स्वतः के निवास गृह निर्माण, कुओं के निर्माण या मरम्मत या अन्य कृषि कार्य के लिए ग्रामों में रहने वाले कृषक, ग्रामीण कारीगर और मजदूरों को रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी ।

(ग) ग्राम पंचयात, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगरीय निकाय व्दारा स्वतः कराये जाने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्यो के लिए रेत के उपयोग पर रायल्टी में छूट रहेगी ।

5. इन निर्देशों के अंतर्गत किन्ही बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट न होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधान लागू माने जायेंगे ।

6. इन निर्देशों के प्रभावशील होने के दिनांक से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के संबंध में तत्समय ऐसे सभी निर्देश जो इन निर्देशों से असंगत हों, स्वमेव निरस्त माने जायेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

—सही—
(एम.के. त्यागी)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

प्रारूप — एक

(देखिए कंडिका — 6)

रेत अभिवहन पास

पास बुक क्रमांक   अभिवहन पास क्रमांक ....

1. ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगरीय निकाय का नाम	....
2. खदान का नाम	....
3. क्रेता का नाम	....
4. रेत परिवहन कर ले जाने का स्थान	....
5. वाहन का प्रकार	ट्रेक्टर / ट्रक / डंफर / दस चक्का वाहन
6. वाहन क्रमांक	....
7. खदान से रेत भरने का दिनांक	....
8. खदान से रेत भरने का समय	....
9. खदान से उठाई गई रेत की मात्रा (घनमीटर में)	....
10. रायल्टी के रूप में जमा की गई राशि	रू. ....

....
वाहन चालक का हस्ताक्षर
(नाम ....)

....
अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर
(नाम ....)
(पदनाम ....)
(सील)

टिप्पणीः—

(1) उपरोक्त अभिवहन पास में किसी भी प्रकार की कांटछांट होने पर अथवा कालम रिक्त रहने पर उसे मान्य नहीं किया जाएगा तथा इसका उत्तरदायित्व अभिवहन पास धारक का होगा ।

(2) अभिवहन पास की मूल गाड़ी के वाहक ड्रायवर (चालक) को दी जानी चाहिए और कार्बन कापी दूसरी पास बुक जारी करने के लिए प्राधिकारी के पास जमा करने हेतु इसी किताब में रखी जावे ।

(3) तारीख तथा समय का न लिखना तथा ऊपरी लेखन करना दण्डनीय होगा ।

(4) एक वाहन को प्रत्येक ट्रिप के परिवहन के लिए केवल एक ही अभिवहन पास जारी किया जावेगा ।

प्रारूप – दो

(देखिए नियम कंडिका – 8)

गौण खनिज (रेत) की खदान से प्राप्त रायल्टी का मासिक विवरणी

माह .... के लिए

(आगामी माह की 10 तारीख तक प्रस्तुत की जाये)

(1) * पंचायत / नगरीय निकाय का नाम ....

(2) खदान का नाम व अवस्थिति ....

(क) ग्राम – ....

(ख) नदी / नाले का नाम – ....

(ग) तहसील – ....

प्रति,

(1) कलेक्टर

....

नोट – सभी आंकड़े घन मीटर में दिये जायें.

1. रेत का माह में उत्पादन (घन मीटर में) ....
2. रेत का माह में प्रेषण (घन मीटर में) ....
3. माह में काटे गये कुल पिट पास की संख्या ....
4. उपयोग में लाये गये अभिवहन बुक का क्रमांक ....
   तथा अभिवहन पास का अनुक्रमांक ....
5. विक्रय किये गये रेत पर देय कुल रायल्टी रू. ....
6. *पंचायत / नगरीय निकाय के खाते में जमा ....
   की गई कुल राशि का विवरण
   प्रविष्टि क्रमांक .... दिनांक .... राशि रू. ....
7. शेष बकाया (5–6) यदि कोई हो, ...
8. प्रविष्टि क्रमांक 5 तथा 6 में अंतर होने का कारण ....

स्थान .... हस्ताक्षर ....

दिनांक .... नाम ....

सील ....

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

*सचिव, ग्राम पंचायत /
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत /
मुख्य नगर पालिका अधिकारी / आयुक्त